राशोपित किसी मगूकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला–नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत–दुगोली

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

मु0न0 291/2017

वादीगण–

1. भंवरलाल
2. बिरमाराम पुत्रगण दुलाराम
3. श्रवणराम
4. चेनाराम
5. भगवानाराम पुत्रगण रामनाथ
6. रूघनाथ
7. प्रेमाराम उर्फ पीराराम
8. ओमप्रकाश उर्फ पपुराम पुत्रगण केसाराम
9. लिछमा पत्नी केशाराम
3. देवाराम पुत्र भेराराम जातियान जाट निवासीगण गौराउ तहसील जायल जिला नागौर

बनाम

तिवादीगण–

1. धन्नी पत्नी दुलाराम
2. झमकु पत्नी भेराराम
3. सतोष उर्फ झणकारी
4. विमला पुत्री दुलाराम जाति जाट
5. कैलाश पुत्र भागीरथ जाति आचार्य
6. रामचन्द्र पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट
7. गोविन्दराम पुत्र भागीरथ
8. गिरधारी पुत्र टिकुराम
9. पतासी पत्नी पूर्णाराम
10. झणकारी पत्नी सुखाराम जाति जाट निवासीगण गौराउ
11. जवानाराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ढिगसरी तहसील लाडनुं
12. अर्जुनदास पुत्र जमनादास जाति साद
13. नन्दलाल पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी गौराउ तहसील जायल
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–15.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी सख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी सख्या 1 , 3 व 4 के सामलाती हक बंट में मौजा गौराउ के खेत ख नं 06 रकबा 27.12 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।
2. वादी सख्या 3 श्रवणराम के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 113 रकबा 21.08 बीघा में से 03.10 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी सख्या 4 चेनाराम के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 113 रकबा 21.08 बीघा में से 03.10 बीघा नजरीनक्शानुसार व ख नं 23 रकबा 23.18 में से 10.09 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी सख्या 5 भगवाना के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 596 रकबा 13.19 बीघा पूरा व ख नं 113 रकबा 21.08 बीघा में से 03.10 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

5. वादी संख्या 6 से 9 क्रमश रूघनाथ, प्रेमाराम, ओमप्रकाश , लिछमा के सामलाती हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 139 रकबा 16.10 बीघा पूरा व ख नं 177 रकबा 22.03 बीघा में से 14.03 बीघा नजरीनक्शानुसार व ख न 138 रकबा 04.17 बीघा पुरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है
6. वादी संख्या 10 देवाराम के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 113 रकबा 21.08 बीघा में से 10.10 बीघा नजरीनक्शानुसार , ख नं 23 रकबा 23.18 बीघा में से 13.09 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है
7. प्रतिवादी संख्या 5 कैलाश के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 177 रकबा 22.03 बीघा में से 02.09 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
8. प्रतिवादी संख्या 6 रामचन्द्र के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 177 रकबा 22.03 बीघा में से 02 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
9. प्रतिवादी संख्या 7 गोविन्दराम के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 177 रकबा 22.03 बीघा में से 0.12 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
10. प्रतिवादी संख्या 8 गिरधारीराम के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 177 रकबा 22.03 बीघा में से 0.09 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
11. प्रतिवादी संख्या 9 पतासी के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 177 रकबा 22.03 बीघा में से 0.10 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
12. प्रतिवादी संख्या 10 झणकारी के हक बंट में मौजा गौराउ का ख नं 177 रकबा 22.03 बीघा में से 01 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
13. प्रतिवादी संख्या 11 से 13 क्रमश जवानाराम,अर्जनदास,नन्दलाल के सामलाती हक बट में मौजा गौराउ का ख नं 177 रकबा 22.03 बीघा में से 01 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
14. ख नं 113 रकबा 21.08 बीघा में से ही दक्षिणी माठ पर पूर्व से पश्चिम रास्ते बाबत् 18 फुट चौडा मार्क ऐ से बी कुल रकबा 0.08 बीघा राज्य सरकार के पक्ष में घोषित किया जाता है

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

तीज **x** *मुबलिक* **x** *बाबत* **x** *खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर* **x** *फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योग तक* **x** *को अदा करें। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.05.2018 को जारी किया गया।*

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]			हेडनाजा खतौनी		
[illegible]			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इश्तहार मुनादीजात		
बाबत इश्तहार मुनादीजात			मुतफरीक		
मुतफरीक					

नोट :- इसे खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह से फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जायल जिला–नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत– दुगोली

क्रमांक–रा.लो.अदा.अभि./2018/235 दिनांक–18/5/2018

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक सशोधित डिक्री आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी,जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner